

फार्म "अ"

(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये बी)

राजस्व आदेश-पत्र (रेव्हेन्यू आर्डर शीट)

.....के न्यायालय में मामला क्रमांकसन 20.....
 विषयप्रकरण की श्रेणी
 ग्रामवन्दोवत क्रमांकपटवारी हल्का क्रमांकतहसील
 कलेक्टर का क्रमांकसन 20.... अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांकसन 20.....
 तहसीलदार का क्रमांकसन 20... नायब तहसीलदार का क्रमांकसन 20.....

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहाँ आवश्यक हो पर्ची अथवा वकीलों के हस्ताक्षर आदेशों का पालन करवाकर लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और समन्स की तारीख
1	2	3
	<p>ग्रामपटवारी हल्का न.तहसील से अतिक्रमण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि वर्षसंवत्में पुत्रजाति निवासी का सर्वे नंरकवामें से रकवा स्थित ग्राम शासकीय भूमिपर फसल बोकर/जोतकर/मकान बनाकर अतिक्रमण है । प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है ।</p> <p>१. प्रकरण अ-68 में दर्ज हो । २. अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी हो । अनावेदक जवाब एवं साक्ष पटवारी और अनावेदक साक्ष हेतु दिनांककेम्प तहसीलदार</p> <p>उपस्थिति - अनावेदक / आवेदक अनावेदक ने जबाब प्रस्तुत नहीं किया । अनावेदक नोटिस की वाद अनुपस्थित रहा अतः धारा 35(2) म.प्र.भू.रा.सं.1959 के अंतर्गत एक तरफ़ा कार्यवाही की जाती है साथ में अनावेदक कथन कराये । अतिक्रमण करना स्वीकार किया / अस्वीकार किया । पटवारी के साक्ष से अनावेदक का शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होना प्रमाणित है जो धारा 248 म.प्र.भू.रा.सं.1959 के अंतर्गत दंडनीय है । अतः धारा 248 म.प्र.भू.रा.सं.1959 के अंतर्गत बाद ग्रस्त शासकीय भूमि पर पाये जाने पर अनावेदक पुत्र जाति निवासीको अर्थदंड रुपये शब्दों में प्रतिदिन पेनल्टी रुपये शासकीय भूमि पर से वेजा कब्ज़ा न हटाने पर की कार्यवाही की जायेगी । बेदखली का आदेश दिया जाता है पटवारी बेदखली प्रतिवेदन दे अनावेदक की बेदखली नोटिस जारी हो पटवारी नं रीडर टीप आदेश करे ।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार तहसील</p>	

न्यायालय तहसीलदार वृत्ततहसील.....जिला(म.प्र.)

प्र.क्र./.....-...../अ-68

दिनांक

(अंतर्गत धारा 248 म.प्र.भू.रा.सं.1959)

--:कारण बताओ नोटिस :-

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी ह.न.....

बनाम

श्री.....पुत्र.....

जातिनिवासी ग्रामतहसील

.....अनावेदक

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पटवारी ग्राम

की रिपोर्ट अनुसार निम्नांकित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है :-

ग्राम प.ह.न.	सर्वे नंबर	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि की नोडयत	कुल रकवा में से अतिक्रमित रकवा	अतिक्रमण का स्वरूप
1	2	3	4	5	6

उक्त अतिक्रमण करने के फलस्वरूप आपको मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अतिक्रमित भूमि का प्रचलित बजार मूल्य के 20 प्रतिशत राशि तक अर्थदण्ड (जुर्माना) आरोपित किया जावे तथा अतिक्रमण न छोड़ने की दशा में आदेश दिनांक से प्रतिदिन रु 500/- से दण्डित किया जावे , साथ ही आपके विरुद्ध सिविल जेल की कार्यवाही की जावे | आप अपना जवाब मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर पेशी दिनांक..... को प्रातः 11:00 बजे पेश करें |

नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर , जवाब प्रस्तुत न करने पर यह माना जायेगा कि आपको अतिक्रमण का आरोप स्वीकार है | जवाब प्रस्तुत न करने / अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आदेश पारित कर दिया जायेगा |

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया |

तहसीलदार

तहसील

राजस्व ग्राम का नाम..... तहसील.....जिला

क्रमांक	काश्तकार का नाम माय बल्दियत सकूनत	खसरा नंबर	रकवा	भूमि का विवरण	वेजा कब्जे का रकवा	रेट	लगन व रुपये रेट	दच्छत लगान	वेजा कब्जे का प्रकरण	किस्म जमीन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

हस्ताक्षर मय सील
हल्का पटवारी